

विधानसभा की स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति को संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा संवीक्षा पूर्व एवं संवीक्षा टिप्पणी उपरान्त अनुपालना/क्रियान्विति हेतु बकाया अनुच्छेदों की सूची:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	अध्याय संख्या	संवीक्षा पूर्व पालना अप्राप्त	संवीक्षा उपरान्त पालना/क्रियान्विति अप्राप्त
1	पंचायती राज संस्थाएँ	1 2 3 10	-	1.3.1(1),1.3.2(1),1.3.3(1), 1.3.4(1) 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.6.1, 2.6.2 3.1, 3.2, 3.3 10.2(1)
2	शहरी स्थानीय निकाय	1 4	4.5.1 (न.नि.कोटा, न.प.टोंक, न.पा.निम्बाहेडा,सूरजगढ,कपासन, राजगढ(चुरु),कुम्हेर,उदयपुरवाटी,फतहनगर,तिजारा), 4.5.2 (न.नि.कोटा, न.प.डुंगरपुर,बून्दी,दौसा, न.पा.निम्बाहेडा,कपासन,राजगढ(चुरु),राजगढ (अलवर),सलूमबर,पदमपुर), 4.5.3 (न.नि.कोटा,भरतपुर, न.प.दौसा, न.पा. सुमेरपुर,पिण्डवाडा,कुम्हेर,राजगढ(अलवर), 4.5.4 (न.प.टोंक,दौसा, भिवाडी,डुंगरपुर,, न.पा.भीनमाल,राजगढ,निम्बाहेडा,श्रीमाधोपुर,बयाना, पदमपुर), 4.5.5 (न.नि.भरतपुर, न.प.टोंक,दौसा,बून्दी, न.पा. श्रीमाधोपुर,खुडालाघालना,गजसिंहपुर,राजगढ,सूरजगढ,सलूमबर), 4.5.6 (न.नि.कोटा,भरतपुर), 4.5.7 (न.नि.अजमेर, न.प.डुंगरपुर,बून्दी, न. पा.आबूरोड,पिलानी,बांदीकुई,देवगढ,चिडावा,सूरजगढ), 4.5.8 (न.नि.	1.3.1(2), 1.3.2(2),1.3.3(2),1.3.4(2) 4.5.7(न.पा. आमेट),4.5.10(न.पा. आमेट)

			अजमेर, न.प.बूंदी, टोंक, न.पा.पदमपुर,चिडावा), 4.5.9 (न.नि.अजमेर,कोटा,भरतपुर, न.प.टोंक,बूंदी,भिवाडी, न.पा.राजगढ,कुम्हेर,बांदीकुई,कपासन), 4.5.10 (न.नि.कोटा,भरतपुर, न.पा.फतहनगर,कुम्हेर,डीग), 4.6.1, 4.6.2 5.1.1 (न.पा.फतहनगर(उदयपुर)), 5.1.2 (अ-निम्बाहेडा, ब-ब्यावर), 5.1.3 (न.प.ब्यावर), 5.1.5 (न.पा.बडीसादडी,देवगढ), 5.1.6, 5.1.7 (न.पा.छोटीसादडी), 5.2.1 (न.नि.जयपुर), 5.2.2 (न.नि.जयपुर), 5.2.3 (न.नि.जयपुर), 5.2.4 (न.पा.छोटीसादडी,जहाजपुर), 5.2.5, 5.2.6 (न.नि.जयपुर), 5.3.1 (न.पा.जोबनेर), 5.3.2 (अजमेर, न.पा.निम्बाहेडा), 5.4 —	5.1.4, 5.1.5(न.पा. आमेट),5.2.5(न.पा.बालोतरा,लाडनू,रावतसर नगरपरिषद सीकर) 10.2(2)
		5		
		10		
3	शहरी विकास प्राधिकरण	1	—	1.3.1(3), 1.3.2(3),1.3.3(3),1.3.4(3)
	1.विकास प्राधिकरण	6	6.5.1, 6.5.2, 6.5.3(अजमेर), 6.6.1.(जोधपुर,अजमेर), 6.6.2 (जोधपुर,अजमेर),,	6.6.1(जयपुर),6.6.2(जयपुर), 6.7.1 (अ,ब,स,द,य,र,ल,व,श), 6.8.1 (अ,ब,स,द,य,र,ल.), 6.9.1(जयपुर)
	2.नगर विकास न्यास	7	7.5.4 ,7.7.1	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.5, 7.5.6 (कोटा), 7.6.1, 7.6.2
	3.आवासन मण्डल	8 10	—	8.5.1, 8.5.2, 8.5.3., 8.6.1,8.6.2, 10.2(3)
6	कृषि विपणन संस्थाएँ 1. कृषि उपज मण्डी समिति 2. कृषि विपणन बोर्ड	1 9	9.5.6,9.6.1,9.6.2	1.3.1(4), 1.3.2(4)(ii),1.3.3(4)(ii) 9.5.1,9.5.2,9.5.3,9.5.4,9.5.5,9.7.1 9.6.1, 9.6.2
7	अन्य संस्थाएँ	1	—	—
(i)	देवस्थान विभाग	1	1.3.1(5)(i), 1.3.2(5)(i), 1.3.3(5)(i), 1.3.4(5)(i)	—
(ii)	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	1	1.3.1(5)(iii), 1.3.2(5)(iii), 1.3.3(5)(iii), 1.3.4(5)(iii),	—
(iii)	जिला महिला विकास अभिकरण	1	1.3.1(5)(iv),1.3.3(5)(iv)	—
(iv)	मुख्यमंत्री अकाल, बाढ सहायता कोष	1	—	1.3.1(5)(v), 1.3.2(5)(v),1.3.4(5)(v)

(v)	राजस्थान खादी बोर्ड	1	—	1.3.1(5)(vi),1.3.2(5)(vi)
(vi)	विविध संस्थाएँ	1	1.3.1(5)(vii), 1.3.4(5)(vi),	1.3.2(5)(vi)
(vii)	जिला उद्योग केन्द्र	1		1.3.3(5)(v)
(viii)	इंदिरा गांधी पंचातयी राज संस्थान	1	1.3.3(5)(vi)	—
(ix)	राजस्थान साहित्य अकादमी	1	—	1.3.3(5)(vii)
(x)	राजस्थान पेंशनर्स रिलीफ फण्ड	1 10	1.3.1(5)(ii), 1.3.2(5)(ii), 1.3.3(5)(ii), 10.2(4)	—
(xi)	नियमित अंकेक्षण क्षेत्राधिकार से भिन्न संस्थाएँ	10	10.2(5)	—